

147



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

केम्प उज्जैन म.प्र.

2018 निगरानी-5088/2018/शाजापुर/भू-श.

Handwritten notes in Hindi, including 'प्रक 0', '25/11/18', and 'काम शाजापुर'.

1. कांताबाई विधवा रामगोपाल आयु 47 साल
 2. गौरव पिता रामगोपाल आयु 22 साल
 3. कु. भारती पिता रामगोपाल आयु 17 साल
 4. कु. गुड्डी पिता रामगोपाल आयु 15 साल
- दोनो ना0बा0 संवरक्षक माता कांताबाई विधवा रामगोपाल समस्त जाति कुम्हार निवासी कालापीपल मण्डी कृषकग्राम खोकराकलौ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.....निगरानीकर्तागण

विरुद्ध

1. राधेश्याम पिता भंवरलाल आयु 55 साल जाति कुम्हार निवासीग्राम सेमलिया हाल मुकाम कालापीपल मण्डी कृषकग्राम खोकराकलौ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.....विपक्षी

2. जयनारायण पिता भंवरलाल आयु 70 साल
3. रामचरण पिता भंवरलाल आयु 65 साल
4. देवबक्ष पिता भंवरलाल आयु 60 साल समस्त जाति कुम्हार निवासीग्राम सेमलिया कृषकग्राम खोकराकलौ तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.
5. मध्यप्रदेश शासन द्वारा ग्राम पटवारी ग्राम खोकराकलौ पटवारी हल्का नंबर 09 राजस्व वृत्त एक तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म.प्र.

.....औपचारिक विपक्षीगण

निरन्तर.....2



कांताबाई

Handwritten signature/initials in blue ink.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5088/2018/शाजापुर/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	<p>आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.10.18 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p></p> <p style="text-align: right;"> प्रशासकीय सदस्य</p>	